झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

धाराएँ

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।
2. अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 3 की उपधारा (1) में परन्तुक का अंतःस्थापन।
3. उक्त अधिनियम के साथ संलग्न विद्युत शुल्क की अनुसूची (विद्युत शुल्क दर) में संशोधन।

झारखंड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021

[सभा द्वारा यथापारित]

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड में एस० ओ० संख्या 117 दिनांक 15.12.2000 द्वारा अंगीकृत) में संशोधन हेतु विधेयक।

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र के बहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. धारा 3 में संशोधन-

धारा 3 की उपधारा (1) के पश्चात् एक परन्तुक को निम्नवत् जोड़ा जायेगा -

"परन्तु यह और कि, सरकार, अधिसूचना के द्वारा, इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के किसी भी शुल्क वर्ग अथवा शुल्क दर में कुछ जोड़ या विलोपन या संशोधन/परिवर्तन कर सकती है।"

3. अधिनियम के साथ संलग्न विद्युत शुल्क की अनुसूची (विद्युत शुल्क दर) में संशोधन-

उक्त अधिनियम के साथ संलग्न विद्युत शुल्क की अनुसूची (विद्युत शुल्क दर) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अनुसूची

(धारा 3 देखें)

क्र० सं०	शुल्क वर्ग	खण्ड	विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर नेट शुल्क दर प्रतिशत में
1	घरेलु/ गैर घरेलु एल०टी०/ घरेलु एच०टी० /अस्थाई आपूर्ति/ विज्ञापन/ धार्मिक स्थान/प्रार्थना कक्ष/अन्य प्रकार के आपूर्ति जो किसी भी वर्ग के अंतर्गत नहीं है।		6%
2	औघोगिक एच०टी०/ खनन/ घरेलु एच०टी० को छोड़ कर अन्य प्रकार के एच०टी० संपर्क /वाणिज्यिक एच०टी०	10 एमवीए तक	8%
		10 एमवीए से ऊपर	15%
3	सिंचाई एवं कृषि		कर मुक्त

यह विधेयक झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 दिनांक-23 मार्च, 2021 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक- 23 मार्च, 2021 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

(रबीन्द्र नाथ महतो)

अध्यक्ष।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 4—50—6-4-2021